

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 342/आउशि/अका.प्र./08
प्रति,


भोपाल, दिनांक- 3/10/08

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, म०प्र०।
2. प्राचार्य,
अग्रणी महाविद्यालय,
म०प्र०।
3. प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
म०प्र०।

विषय:-सेमेस्टर प्रणाली की सूचनाओं के प्रेषण में स्टेशनरी का दुरुपयोग।

--0--

यह ज्ञात हुआ है कि कतिपय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक/प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चाही गई जानकारी अधीनस्थ महाविद्यालयों से हार्डकापी में भी मांग रहे हैं। इससे न सिर्फ स्टेशनरी का दुरुपयोग होता है, बल्कि समय का भी अपव्यय होता है। इस तरह के आदेशों के उल्लंघन की सूचना कोई भी सीधे संचालनालय, भोपाल को प्रेषित कर सकता है। सही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी से इस अपव्यय की प्रतिपूर्ति करायी जाएगी तथा आदेश उल्लंघन करने के फलस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।



(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश